"हर काम देश के नाम"

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010

O/o the Controller General of Defence Accounts

Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt.- 110010

विकसित भारत अभियान 1947 TO 2047

दूरभाष: 011-25665742 फैक्स : 011-25674806, 25674821 ई-मेल: hindicell.cgda@nic.in

सं. 55018/हि.क./रा.भा.का.स./मु.का./31 दिनांक : 20 जून, 2025

(राजभाषा अनुभाग)

विषय : रक्षा लेखा विभाग मुख्यालय, कार्यालय की दिनांक 16 जून, 2025 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

****

इस मुख्यालय कार्यालय की दिनांक 16 जून, 2025 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त इस अनुरोध से भेजा जा रहा है कि आपके कार्यालय/ अनुभाग से संबंधित मदों पर तत्काल उचित कार्रवाई की जाए एवं की गई कार्रवाई से मुख्यालय (राजभाषा अनुभाग) को अवगत कराने का कष्ट करें।

रक्षा लेखा महानियंत्रक के अनुमोदन से जारी।

संलग्नक : यथोपरि

(घनश्याम शुक्ला)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन)

1. निदेशक (राजभाषा) रक्षा मंत्रालय, कमरा न. 240, 'बी विंग' सेना भवन, नई दिल्ली
2. सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक
3. मुख्यालय कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य
4. मुख्यालय कार्यालय के सभी अनुभाग
5. सूचना प्रद्योगिकी एवं प्रणाली कक्ष (स्थानीय) : वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश फाइल।

"हर काम देश के नाम"
रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय
उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010
O/o the Controller General of Defence Accounts
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt.- 110010
दूरभाष: 011-25665742 फैक्स : 011-25674806, 25674821 ई-मेल: hindicell.cgda@nic.in

विकसित भारत अभियान
1947 TO 2047

(राजभाषा अनुभाग)

विषय : रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 16 जून, 2025 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जून, 2025 को समाप्त तिमाही की बैठक 16 जून, 2025 को दोपहर 12.00 बजे डॉ. मयंक शर्मा, रक्षा लेखा महानियंत्रक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

1.	श्री राज कुमार अरोड़ा	रक्षा लेखा विशेष महानियंत्रक
2.	श्री विश्वजीत सहाय	रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक
3.	श्री कोम्पेला वेंकट रमण मूर्ति	रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक
4.	श्रीमती मौशुमी रूद्र	रक्षा लेखा वरिष्ठ संयुक्त महानियंत्रक
5.	श्री राजेश शर्मा	रक्षा लेखा वरिष्ठ संयुक्त महानियंत्रक
6.	श्री विपिन कुमार गुप्ता	रक्षा लेखा वरिष्ठ संयुक्त महानियंत्रक
7.	श्रीमती ऋचा मिश्र	रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक
8.	डॉ. शिवाली मल्होत्रा चौहान	रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक
9.	श्रीमती मौली सेनगुप्ता	रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक
10.	श्री अरविन्द खरे	रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक
11.	श्रीमती सारिका अग्रवाल सिनरम	रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक
12.	श्री राजेश चन्द्रा	रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक
13.	श्री रूचिर मित्तल	रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक
14.	श्रीमती अपर्णा शुक्ला	रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक
15.	श्री विनीत पराशर	रक्षा लेखा वरिष्ठ सहायक महानियंत्रक
16.	श्री संदीप श्योराण	रक्षा लेखा वरिष्ठ सहायक महानियंत्रक
17.	श्री राजेश कालिया	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
18.	श्री हिमतेश प्रताप सिंह	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
19.	श्री प्रदीप कुमार	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
20.	श्री घनश्याम शुक्ला	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
21.	श्री सतीश कुमार त्रिपाठी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
22.	श्री राजेश छाबड़ा	वरिष्ठ लेखा अधिकारी

23.	श्री सुजीत कुमार	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
24.	श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
25.	श्रीमती पूनम	सहायक निदेशक (राजभाषा)/ सदस्य सचिव
26.	श्रीमती रुचिता सहाय	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
27.	श्री पंकज दलाल	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
28.	श्री अरविन्द	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

श्री संदीप श्योराण, रक्षा लेखा वरिष्ठ सहायक महानियंत्रक (प्रशासन) द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्यों के स्वागतोपरांत, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया गया:-

मद सं. 1 : 18 मार्च, 2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक 18 मार्च, 2025 को आयोजित की गई थी। बैठक का कार्यवृत्त सभी की जानकारी एवं यथा अपेक्षित कार्रवाई हेतु मुख्यालय कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। कार्यवृत्त के संबंध में किसी भी सदस्य से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त न होने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि मान ली गई।

मद सं. 2 : पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

(i) पिछली बैठक में समिति को अवगत कराया गया था कि मुख्यालय में 17 आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि का ज्ञान प्राप्त है। केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा परिपत्र जारी होने के बाद अगले सत्र के लिए शेष आशुलिपिकों को क्रमवार नामित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में निदेश दिए थे कि हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित आशुलिपिकों से हिंदी आशुलिपि का कार्य लिया जाए तथा इसकी मॉनीटरिंग भी की जाए।

इस निदेश के अनुपालन हेतु सभी स्थानीय अनुभागों को तिमाही बैठक का कार्यवृत्त प्रेषित कर दिया गया था। समिति को अवगत कराया गया कि केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हिंदी आशुलिपिकों के प्रशिक्षण के संबंध में परिपत्र जारी होते ही शेष आशुलिपिकों को अगले सत्र के लिए क्रमवार नामित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने इस पर अपनी सहमति जताई तथा निदेश दिए कि हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षित आशुलिपिकों द्वारा किए गए हिंदी आशुलिपि के कार्य की मॉनिटरिंग एवं हिंदी पत्राचार में दर्ज की गई वृद्धि संबंधी रिपोर्ट राजभाषा अनुभाग (स्थानीय) को प्रेषित की जाए।

[कार्रवाई : प्रशासन-IV एवं राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(ii) पिछली बैठक में समिति को अवगत कराया गया था कि मुख्यालय में तैनात 26 लिपिकों में से 14 को हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त है। प्रशिक्षण के लिए शेष लिपिकों को भी अगले सत्र के लिए क्रमवार नामित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में निदेश दिए थे कि सभी अनुभाग प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि जो लिपिक हिंदी टंकण में प्रशिक्षित हैं उनसे हिंदी टंकण का कार्य लिया जाए ताकि कार्यालय का हिंदी पत्राचार का प्रतिशत सही दिशा में आगे बढ़े।

इसके अनुपालन हेतु सभी स्थानीय अनुभागों को तिमाही बैठक का कार्यवृत्त प्रेषित कर दिया गया था। समिति को अवगत कराया गया कि केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हिंदी टंकण के प्रशिक्षण के संबंध में परिपत्र जारी होते ही शेष लिपिकों को अगले सत्र के लिए क्रमवार नामित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने इस पर अपनी सहमति जताई तथा निदेश दिए कि हिंदी टंकण में प्रशिक्षित लिपिकों द्वारा हिंदी मे किए गए कार्य की मॉनिटरिंग एवं हिंदी पत्राचार में दर्ज की गई वृद्धि संबंधी रिपोर्ट राजभाषा अनुभाग (स्थानीय) को प्रेषित की जाए।

[कार्रवाई : समस्त अनुभाग (स्थानीय)]

(iii) पिछली बैठक में समिति को अवगत कराया गया था कि प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले सहायक निदेशक (राजभाषा) के चारों पदों पर चयनित उम्मीदवारों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में निदेश दिए थे कि 'मानित समाप्त' (deemed abolished) पदों के पुनः प्रवर्तन (revival) की कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवा कर शीघ्र ही रक्षा मंत्रालय को प्रेषित की जाए।

इस संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि 24 मानित समाप्त पदों के पुनः प्रवर्तन का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत 11 जून, 2025 को रक्षा मंत्रालय को प्रेषित कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि इस संबंध में रक्षा मंत्रालय/ संबंधित विभाग से निरंतर संपर्क बनाए रखें।

[कार्रवाई : प्रशासन-VIII (स्थानीय)]

(iv) पिछली बैठक में समिति को अवगत कराया गया था कि भाग-2 आदेश का मानक प्रारूप द्विभाषी रूप में आई.टी. एंड एस.डी.सी., सिकंदराबाद को प्रेषित कर दिया है। सू.प्रौ. एवं प्र. विंग के प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया था कि मई, 2025 से पे-स्लिप एवं कार्यालय आदेश भाग-2 द्विभाषी रूप में जारी किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय ने इस पर संतोष प्रकट किया था।

इस संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि भाग-2 आदेश को द्विभाषी रूप में जारी करने के लिए आई.टी. एंड एस.डी.सी., सिकंदराबाद में कार्य प्रक्रियाधीन है एवं जून, 2025 के अंत तक इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही, समिति को सूचित किया गया कि जून, 2025 की पे-स्लिप द्विभाषी रूप में जारी कर दी जाएगी। श्री राजकुमार अरोड़ा, रक्षा लेखा विशेष महानियंत्रक ने समिति के समक्ष सुझाव प्रस्तुत किया कि हमें पे-स्लिप एवं समस्त पत्राचार में 'आजादी का अमृत महोत्सव' की जगह 'विकसित भारत अभियान' लोगो का प्रयोग करना चाहिए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने सहर्ष अपनी सहमति जताई।

[कार्रवाई : रक्षा लेखा विभाग के समस्त कार्यालय]

(v) पिछली बैठक में समिति को सूचित किया गया था कि संसदीय राजभाषा समिति के संभावित निरीक्षणों को देखते हुए सभी अधीनस्थ कार्यालयों की निरीक्षण प्रश्नावलियां समीक्षा हेतु मुख्यालय में मंगवाई गई हैं। साथ ही, सभी र.ले.प्र.नि./र.ले.नि. कार्यालयों को यह निदेश दिए गए थे कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों की निरीक्षण प्रश्नावलियों की समीक्षा करें तथा इसकी अनुपालन रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित करें।

इस संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि सभी र.ले.प्र.नि./र.ले.नि./क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों की निरीक्षण प्रश्नावलियों की समीक्षा की गई तथा उन्हें संबंधित कार्यालयों को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया था। इस संबंध में अधीनस्थ कार्यालयों से अनुवर्ती कार्रवाई की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने क्रमशः उन पांच-पांच कार्यालयों की सूची प्रस्तुत करने के निदेश दिए जिनकी प्रश्नावलियां सम्यक रूप से भरी गई तथा अपेक्षानुसार नहीं भरी गई।

[कार्रवाई : राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(vi) पिछली बैठक में समिति को अवगत कराया गया था कि सू.प्रौ. एवं प्र. विंग को सुझाव दिया गया था कि इस संबंध में सभी अनुभागों से माया ऑपरेटिंग सिस्टम में हिंदी में कार्य करने में आ रही समस्याओं के बारे में पूछा जा सकता है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए थे कि स्थानीय अनुभागों से माया ऑपरेटिंग सिस्टम में हिंदी में कार्य करने में आ रही समस्याओं के बारे में 15 दिनों के अंदर फीडबैक लिया जाए तथा उन समस्याओं के निराकरण के लिए CIRA के साथ पत्राचार किया जाए।

इस संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि विभिन्न अनुभागों से प्राप्त फीडबैक को Advisor (Cyber) को अग्रेषित कर दिया गया था एवं उनसे अनुरोध किया गया था कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम में हिंदी में टंकण का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इस विषय में Advisor (Cyber) का जवाब प्रतीक्षित है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि इसके समाधान के लिए Advisor (Cyber) से यह अनुरोध किया जाए कि उनके प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यालय के कार्मिकों को कार्यालय में ही प्रशिक्षण प्रदान किया जाए एवं प्रशिक्षित कार्मिक अन्य सभी को प्रशिक्षित करेंगे।

[कार्रवाई : सू.प्रौ. एवं प्र. विंग एवं राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(vii) पिछली बैठक में समिति को अवगत कराया गया था कि संसदीय राजभाषा समिति के निदेशों के अनुपालन में मुख्यालय स्तर पर प्रतिवर्ष राजभाषा सम्मेलन/ कवि सम्मेलन आयोजित किए जाएं। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति जताई गई थी।

इस संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि कार्य की अधिकता एवं पदस्थ संख्याबल की कमी के कारण इस मद पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। इस संबंध में सुझाव दिया गया कि यदि अध्यक्ष महोदय की सहमति हो तो अगस्त माह में इसका आयोजन किया जा सकता है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कवि सम्मेलन को हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित करने का सुझाव दिया तथा तत्संबधी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाइल पर टिप्पणी प्रस्तुत करने के निदेश दिए।

[कार्रवाई : राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(viii) पिछली बैठक में श्री विश्वजीत सहाय, रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक द्वारा समिति को अवगत कराया गया था कि विभाग के सभी कार्यालयों में हिंदी संवर्ग के पदाधिकारी समानुपात में पदस्थ नहीं हैं। परिणामस्वरूप राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में कुछ कार्यालयों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः राजभाषा संवर्ग के पदाधिकारियों को कार्यालयों के प्राधिकृत संख्याबल के अनुसार पदस्थ किए जाने का प्रस्ताव है ताकि राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य सभी संगठनों/ कार्यालयों में सुचारु रूप से चल सके। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति जताई गई थी।

इस संबंध में समिति को रक्षा लेखा विभाग में राजभाषा संवर्ग के पदों की वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। अध्यक्ष महोदय ने इस पर असंतोष प्रकट किया तथा निदेश दिए कि प्रशासन अनुभाग द्वारा यथाशीघ्र इसकी समीक्षा की जाए। वरिष्ठ अधिकारियों ने 'ग' क्षेत्र में राजभाषा संवर्ग के रिक्त पदों को लेकर चिंता जताई। उनका सुझाव था कि जिन स्टेशनों पर राजभाषा संवर्ग के अधिकारियों की तैनाती प्राधिकृत बल से अधिक है, उन्हें वहाँ से वरिष्ठता के आधार पर, उन स्टेशनों पर तैनात किया जाना चाहिए जहाँ राजभाषा संवर्ग के अधिकारी प्राधिकृत पद होने के बावजूद तैनात नहीं हैं।

[कार्रवाई : प्रशासन-II एवं प्रशासन-X अनुभाग (स्थानीय)]

मद सं. 3: <u>पिछली तीन तिमाहियों की हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों की तुलनात्मक समीक्षा</u>

सदस्य सचिव ने सितम्बर, 2024, दिसम्बर, 2024 तथा मार्च, 2025 की तिमाहियों के हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित रिपोर्टों के आंकड़े समिति के समक्ष प्रस्तुत किए।

अध्यक्ष महोदय ने हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित रिपोर्टों के आंकड़ों की स्थिति पर अपनी नाराजगी प्रकट की तथा राजभाषा कार्यान्वयन के प्रतिशत में आई गिरावट का कारण जानना चाहा। इस गिरावट को रोकने एवं राजभाषा कार्यान्वयन के प्रतिशत में वृद्धि लाने हेतु शीर्ष अधिकारियों ने निम्नलिखित सुझाव दिए :-

- रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक/ रक्षा लेखा उप महानियंत्रक द्वारा अपने सभी वरिष्ठ लेखा अधिकारियो/ सहायक लेखा अधिकारियों को हिंदी के प्रयोग के प्रति जागरुक किया जाना चाहिए।
- सभी समूह अधिकारियों द्वारा अपने अनुभागों के राजभाषा कार्यान्वयन की मासिक समीक्षा की जानी चाहिए।
- राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजने से पहले सभी प्रभारी अधिकारियों द्वारा अपने अनुभाग के राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की जानी चाहिए तथा कमी नजर आने पर उसके निदान के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।
- पत्राचार में गिरावट दर्ज करने वाले अनुभागों की सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा साप्ताहिक आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए।
- पत्र/ प्रपत्र आदि का अनुवाद करते समय क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से परहेज करना चाहिए।

- सभी अनुभागों द्वारा अधिकांश मानक पत्र/ प्रपत्रों को द्विभाषी रुप में प्रयोग करना चाहिए ताकि 'ग' क्षेत्र के साथ किए जाने वाले पत्राचार में लोगों को सहूलियत हो।
- हिंदी में लिखी गई कार्यालय टिप्पणियों की प्रतिशत में कमी दर्ज करने वाले अनुभागों के प्रभारी अधिकारियों के साथ रक्षा लेखा वरिष्ठ सहायक महानियंत्रक (प्रशासन) की समीक्षा बैठक होनी चाहिए।

(कार्रवाई : सभी संबंधित अधिकारी/ अनुभाग)

मद सं. 4 : रक्षा लेखा विभाग में राजभाषा संवर्ग के पदों की स्थिति

सदस्य सचिव द्वारा विभाग में राजभाषा संवर्गीय पदों की निम्नलिखित वर्तमान स्थिति समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई:-

पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
सहायक निदेशक(राजभाषा)	37	12	01 रिक्त, 24 मानित समाप्त
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	35	35	शून्य
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	70	49	21

(i) समिति को अवगत कराया गया कि सहायक निदेशक (राजभाषा) के 24 मानित समाप्त पदों के पुनः प्रवर्तन हेतु प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत 11 जून, 2025 को रक्षा मंत्रालय को प्रेषित कर दिया गया है। कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के 17 रिक्त पदों की सूचना कर्मचारी चयन आयोग को 28 जून, 2024 को तथा 03 रिक्त पदों की रिपोर्ट 30 मई, 2025 को भेजी जा चुकी है। शेष 01 पद की रिक्ति की सूचना अगले वर्ष प्रेषित की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि सहायक निदेशक (राजभाषा) के पदों के पुनः प्रवर्तन के लिए रक्षा मंत्रालय/ संबंधित विभाग से निरंतर संपर्क बनाए रखें।

[कार्रवाई : प्रशासन-VIII (स्थानीय)]

मद सं 5 : राजभाषा संबंधी निरीक्षण

(i) मुख्यालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों/ स्थानीय अनुभागों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण :

समिति को अवगत कराया गया कि गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2025-26 के अनुसार प्रत्येक संगठन/ कार्यालय के कम से कम 30% अधीनस्थ कार्यालयों/ स्थानीय अनुभागों का राजभाषा निरीक्षण किया जाना है। इस संबंध में वर्ष 2025-26 के लिए र.ले.प्र.नि./ र.ले.नि./ क्षे.प्र.के. तथा स्थानीय अनुभागों से संबंधित राजभाषा निरीक्षण कार्यक्रम 23.06.2025 तक सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि किसी एक स्टेशन पर स्थित कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण उस स्टेशन के आसपास स्थित किसी अन्य कार्यालय में पदस्थ राजभाषा संवर्ग के कार्मिकों द्वारा किया जाए।

[कार्रवाई : राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(ii) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राजभाषा निरीक्षण

समिति को अवगत कराया गया कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा इस तिमाही में रक्षा लेखा विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों का निरीक्षण किया गया:-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	अभ्युक्तियां
01	क्षेत्रीय लेखा	संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 12.04.2025 को क्षेत्रीय लेखा कार्यालय,

	कार्यालय, शिलांग	शिलांग का राजभाषा निरीक्षण किया गया। इसमें मुख्यालय कार्यालय के प्रतिनिधि के तौर पर श्री राजेश शर्मा, रक्षा लेखा वरिष्ठ संयुक्त महानियंत्रक ने भाग लिया। निरीक्षण के दौरान संसदीय समिति को दिए गए आश्वासनों की सूची/ रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात इसे अनुवर्ती कार्रवाई हेतु संबंधित कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।
02	रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (अनु. एवं वि), देहरादून	संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 10.05.2025 को रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (अनु. एवं वि), देहरादून कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण किया गया। इसमें मुख्यालय के प्रतिनिधि के तौर पर श्री विपिन कुमार गुप्ता, रक्षा लेखा वरिष्ठ संयुक्त महानियंत्रक ने भाग लिया। निरीक्षण के दौरान संसदीय समिति को दिए गए आश्वासनों की सूची/ रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात इसे अनुवर्ती कार्रवाई हेतु संबंधित कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।

श्री राज कुमार अरोड़ा, रक्षा लेखा विशेष महानियंत्रक ने सुझाव दिया कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए जा रहे निरीक्षण की तस्वीरें मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त राजभाषा कार्यक्रमों/ गतिविधियों से संबंधित सभी फोटो भी "राजभाषा कोना" में अपलोड किए जाने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर सहमति जताई गई।

[कार्रवाई : राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

<u>मद संख्या 6:</u> **<u>गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 पर चर्चा</u>**

समिति को अवगत कराया गया कि गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन और इसके प्रसार एवं प्रगामी प्रयोग के संबंध में वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। इसी क्रम में, वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम मुख्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसे सभी अधीनस्थ कार्यालयों एवं सभी स्थानीय अनुभागों को अपेक्षित कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया है। इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार हैं :-

			वर्ष 2025-26 के निर्धारित लक्ष्य	वर्ष 2024-25 के निर्धारित लक्ष्य
1.	हिन्दी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	"क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को	100%	100%
		"क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को	100%	100%
		"क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को	70%	65%
2.	हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना		100%	100%
3.	हिन्दी में टिप्पण		80%	75%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम		75%	70%
5.	हिन्दी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती		80%	80%
6.	हिन्दी में डिक्टेशन/ की बोर्ड पर सीधे टंकण		70%	65%
7.	हिन्दी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)		100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना		100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पेन ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय		50%	50%

10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलैक्ट्रानिक उपकरणों की द्विभाषी रुप में खरीद	100%	100%
11.	वेबसाइट	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)
13.	(i) मंत्रालय/ विभागों और कार्यालयों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 02 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	वर्ष में 02 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)
	(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)
15.	कोड,मैनुअल,फार्म,प्रक्रिया साहित्य का हिन्दी अनुवाद	100%	100%
16.	मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों/ बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हो	45%	40%

इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि प्रत्येक स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति के गंभीर प्रयास किए जाने चाहिएं। नियमानुसार, सभी प्रपत्र द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएं। हिंदी पत्राचार बढ़ाने के लिए सभी रक्षा लेखा वरिष्ठ संयुक्त महानियंत्रक/ रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक अपने वरिष्ठ लेखा अधिकारियों को संवेदनशील बनाएं। इसी क्रम में रक्षा लेखा विशेष महानियंत्रक द्वारा सुझाव दिया गया कि कुछ पत्राचार मिश्रित रूप (Hybrid Mode) में भी किया जा सकता है, जैसे पत्र का विषय, पता इत्यादि द्विभाषी रूप में लिखे जा सकते हैं।

[कार्रवाई : सभी अनुभाग (स्थानीय)]

<u>मद संख्या 7 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय</u>

श्री राज कुमार अरोड़ा, रक्षा लेखा विशेष महानियंत्रक द्वारा राजभाषा के बेहतर कार्यान्वयन तथा प्रगामी प्रयोग के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए, जिन पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति जताई गई:

(i) ई-मेल में नाम और हस्ताक्षर हिंदी में प्रदर्शित किए जा सकते हैं।

[कार्रवाई : सू.प्रौ. एवं प्र. विंग (स्थानीय)]

(ii) इस आशय की संभावना तलाश की जा सकती है कि ई-मेल के प्राप्तकर्ता की ओर से ई-मेल की एक स्वतः उत्पन्न (Self Generated) पावती ई-मेल भेजने वाले को हिंदी में प्राप्त हो।

इस संबंध में सू.प्रौ. एवं प्र. विंग के प्रतिनिधि ने बताया कि इसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre) से संपर्क करने के बाद समिति को अवगत कराया जाएगा।

[कार्रवाई : सू.प्रौ. एवं प्र. विंग (स्थानीय)]

(iii) फाइल कवर के अंदर दोनों तरफ दैनिक कामकाज में हिंदी में प्रयुक्त होने वाली टिप्पणियां/ अभ्युक्तियां मुद्रित कराई जा सकती हैं।

[कार्रवाई : प्रशासन-V एवं राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(iv) अनेक अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। यदि फील्ड कार्यालयों से इस संबंध में कोई सुझाव या उपलब्धि की सूचना प्राप्त होती है तो उसे मुख्यालय की वेबसाइट पर 'राजभाषा कोना' के अंतर्गत प्रदर्शित किया जा सकता है।

[कार्रवाई : रक्षा लेखा विभाग के समस्त कार्यालय]

(v) सभी र.ले.प्र.नि./र.ले.नि. कार्यालयों से उनके संगठन से संबंधित निरीक्षण कार्यक्रम प्राप्त कर मुख्यालय स्तर पर उनकी मॉनिटरिंग की जा सकती है।

[कार्रवाई : राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(vi) रक्षा लेखा विभाग की सभी समकक्ष लेखा सेवाओं, जैसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत के महालेखा नियंत्रक आदि से समन्वय करके परस्पर एक-दूसरे के समारोहों/कार्यक्रमों आदि में भाग लिया जा सकता है।

[कार्रवाई : सभी अनुभाग (स्थानीय)]

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के साथ ही बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(घनश्याम शुक्ला)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन)